न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 79/2022

वादीगण :-

1. नेमाराम पुत्र गिरधारीलाल
2. प्रेमसिंह पुत्र गिरधारीलाल
3. श्रीमति चन्द्रादेवी पत्नी गिरधारीलाल
4. उम्मेदराम पुत्र नारायणराम
5. ओमप्रकाश पुत्र नारायणराम
6. श्रीमति भंवरी पत्नी नारायणराम जातियान जाट निवासीगण कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बाबूलाल पुत्र लाबूराम
2. शोभाराम पुत्र जालाराम
3. मनीष पुत्र जालाराम
4. श्रीमती श्रवणीदेवी पत्नी जालाराम
5. **बाबूलाल पुत्र लच्छीराम**
6. श्रीमति सुखडी पत्नी हुकमाराम
7. भंवरलाल पुत्र शिवराम
8. श्रीमति कमला पत्नी राजूराम
9. घीसाराम पुत्र मादाराम
10. तेजाराम पुत्र ओगडराम
11. शोभाराम पुत्र ओगडराम
12. दिनाराम पुत्र ओगडराम जातियान जाट निवासीगण कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
13. श्रीमति कमली पुत्री ओगडराम पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी खराडी तहसील जैतारण जिला पाली
14. श्रीमति रमली पुत्री ओगडराम पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी रानीवाल तहसील जैतारण जिला पाली
15. श्रीमति शांति पुत्री ओगडराम पत्नी बेनाराम जाति जाट निवासी कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
16. श्रीमति पप्पूदेवी पुत्री ओगडराम पत्नी बीरमराम जाति जाट निवासी कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
17. यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादीगण - श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या- 1 से 4 - श्री डी डी रामावत अधिवक्ता,
प्रतिवादी सं.-5 से 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या -18 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 21/07/2[illegible]

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 524 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 525 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 526 रकबा 1.0517 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 528 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 529 रकबा 1.2459 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 530 रकबा 1.1811 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 531 रकबा 1.1407 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 532 रकबा 6.2293 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.3534 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1/48 वां हिस्सा वादी सख्या-1 का तथा 1/48 वां हिस्सा वादी सख्या-2 का तथा 1/48 वां हिस्सा वादी सख्या-3 का तथा 1/48 वां हिस्सा वादी सख्या-4 का तथा 1/48 वां हिस्सा वादी सख्या-5 का तथा 1/48 वां हिस्सा वादी सख्या-6 का तथा 1/16 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/48 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का तथा 1/48 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का तथा 1/48 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का तथा 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का तथा 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का तथा 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का तथा 1६8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का तथा 1/64 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का तथा 1/64 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का तथा 1/64 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 का तथा 1/64 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 का तथा 1/64 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 का तथा 1/64 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 का तथा 1/64 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 16 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 16 इसके लिए तैयार नही हुए तो वादीगण अपने दावे के पद संख्या-1 में वर्णित भूमि का 1/48-1/48 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 16 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अडचने पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 16 द्वारा दिनांक 23.06.2022 को वादीगण के कब्जे व काश्त में दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति सें बंटवाड़ा करने के लिए तैयार नही होने पर बमुकाम ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा मै पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है। दावा बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से तथा विवादग्रस्त भूमि ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 524 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 525 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 526 रकबा 1.0517 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 528 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 529 रकबा 1.2459 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 530 रकबा 1.1811 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 531 रकबा 1.1407 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 532 रकबा 6.2293 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.3534 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/48-1/48 वां हिस्से की भूमि को अलग कर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे । प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 17.03.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम कालाउना

तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 524 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 525 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 526 रकबा 1.0517 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 528 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 529 रकबा 1.2459 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 530 रकबा 1.1811 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 531 रकबा 1.1407 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 532 रकबा 6.2293 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.3534 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट)
1	उम्मेदराम पुत्र नारायणराम 1/6, ओमप्रकाश पुत्र नारायणराम 1/6, भंवरीदेवी पत्नी नारायणराम, चन्द्रादेवी पत्नी गिरधारीलाल 1/6, नेमाराम पुत्र गिरधारीलाल 1/6, प्रेमसिंह पुत्र गिरधारीलाल 1/6 जाति जाट सा. देह खातेदार (मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है।)	532 526 528	0.4854 0.2497 0.8090
	कुल खसरा	3	1.5441
2	कमलादेवी पत्नी राजूराम 15442/108093 रहन-यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर, कमली पुत्री ओगडराम 1931/108093, घीसाराम पुत्र मादाराम 15442/108093, तेजाराम पुत्र ओगडराम 4504/108093, दिनाराम पुत्र ओगडराम 4504/108093, बाबूलाल पुत्र लाबूराम 7721/108093, बाबुलाल पुत्र लच्छीराम 15441/108093, भंवरलाल पुत्र शिवराम 15441/108093 रहन-यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर, मनीष पुत्र जालाराम 2574/108093, श्रवणी देवी पत्नी जालाराम 2574/108093, शोभाराम पुत्र जालाराम 2574/108093, शोभाराम पुत्र ओगडराम 4504/108093, सुखडी पत्नी हुक्माराम 15441/108093 जाति जाट सा.देह खातेदार	524 525 526 527 529 530 531 532	0.5663 0.0566 0.8022 0.0728 1.2459 1.1811 1.1407 5.7439
	कुल खसरा	8	10.8093

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 16.04.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 16.04.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा